ए.

पंजाब नेशनल बैंक बनाम.

श्री विजय सीताराम दंडनायक और एएनआर। (2021 की सिविल अपील संख्या 2277)

बी.

30 अगस्त, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:एसएस।7, 238 ए-सीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 137-वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत-सीमा अवधि-तथ्यों पर, निगमित देनदार पुनर्भुगतान में चूक करता है और एन. पी. ए. बन जाता है-वित्तीय लेनदार-बैंक ने यू/एस. के तहत एक याचिका दायर की।7 निगमित देनदार के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए-बैंक ने वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डी. आर. टी. के समक्ष आवेदन भी दायर किया, जिसमें 01.11.2016 दिनांकित आदेश द्वारा, डी. आर. टी. ने निगमित देनदार और प्रत्यर्थी सं. 1 बैंक को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करना-एक समानांतर कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने निगमित ऋणदाता को समाप्त करने का निर्देश दिया-याचिका यू/एस।7 एन. सी. एल. टी. द्वारा दिनांक 06.11.2019 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया-कॉर्पोरेट ऋणदाता के 50 प्रतिशत शेयरधारक, प्रवर्तक, निदेशक और लेनदार होने का दावा करने वाले पहले प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती-एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि वित्तीय ऋणदाता के दावे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-अपील पर कहा गया:बैंक यू/एस द्वारा दायर मूल आवेदन में डी. आर. टी. का आदेश।19 अधिनियम, 1993 का दिनांक 01.11.2016 है-इसके बाद ही कॉर्पोरेट देनदार ने ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध करने के अलावा 17.06.2017 दिनांकित शेष और प्रतिभूति पुष्टिकरण पत्र जारी किया-इस प्रकार, बैंक यू/एस द्वारा दायर आवेदन।7 स्पष्ट रूप से उस तारीख से तीन साल के भीतर था जिस दिन अनुच्छेद 137 के संदर्भ में "आवेदन करने का अधिकार" अर्जित किया गया था-इस प्रकार, बैंक यू/एस द्वारा दायर आवेदन।7 यह सीमा अवधि के भीतर था-बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

देना बैंक बनाम सी. शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य

(2021) 10 एससीसी **330:2021 (7)** जे**.** टी**. 405-**पर निर्भर।

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य। (2019) 4

एस. सी. सी. 227:[2018] 14 एस. सी. आर. 926; बाबूलाल वर्धरजी

एच.

380

381

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विजय सीताराम दंडनायक और ए. एन. आर.

गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (2020) 15 एससीसी 1; बी. के एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स (2019)

11 एससीसी 633:[2018] 12 एस. सी. आर. 794; जिग्नेश शाह और

अन्र बनाम।भारत संघ और एएनआर। **(2019) 10** एससीसी **750:[2019] 12** एस**.** सी**.** आर**. 678;** वाशदेव आर**.** भोजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्र **(2019) 9**

बी.

एससीसी 158:[2019] 12 एस. सी. आर. 75; परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम बिशाल जयसवाल और अन्र।

(2021) 6 एससीसी 366:2021 (7) जे. टी. 562; कोटक महिंद्रा

बैंक लिमिटेड बनाम ए**.** बालकृष्णन **(2020)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 706;** इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम**.**आईसीआईसीआई बैंक और ए**.** एन**.** आर**.**

सी.

(2018) 1 एससीसी **407:[2017] 8** एस**.** सी**.** आर**. 33-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2018] 14 एससीआर **926**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

[2018] 12 एससीआर **794**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

डी.

[2019] 12 एससीआर **678**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2019] 12 एससीआर **75**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

(2021) 10 एससीसी **330**

उस पर भरोसा करें

पैरा **17**

ई.

[2017] 8 एससीआर **33**

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील संख्या 2277।

अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली के दिनांक 02.03.2021 के निर्णय और आदेश से। 2020 की संख्या 90।

एफ.

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री कुसुम लता, महेश के. चौधरी, सुष्मिता चौधरी, सुश्री सुषमा दास, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

राहुल टोटाला, रोहित अनिल राठी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

जी.

आदेश

1. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एन. सी. एल. टी".) द्वारा पारित दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संक्षेप में "आई. बी. सी".) की धारा 7 के तहत उनकी याचिका को स्वीकार करने का आदेश,

एच.

382

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

ए.

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "एन. सी. एल. ए. टी".) द्वारा इस आधार पर पलट दिया गया कि आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था, वित्तीय लेनदार-पंजाब नेशनल बैंक उपरोक्त अपील के साथ आया है।

2. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता और प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल टोटाला को सुना है।

बी.

3. अपीलार्थी ने मैसर्स जयलक्ष्मी शुगर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धारा 7 आई. बी. सी. के तहत याचिका दायर की। लिमिटेड, निगमित देनदार, जो इसमें दूसरा प्रत्यर्थी है, अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा करते हुए कि (i) दिनांक 07.05.2010 और 28.09.2010 के अनुमोदन पत्रों के माध्यम से दूसरे प्रत्यर्थी को एक सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था; (ii) दिनांक 17.09.2011 के एक पत्र द्वारा, मौजूदा सावधि ऋणों का पुनर्गठन और सावधि ऋण की नई मंजूरी निगमित देनदार को दी गई थी; (iii) कि निगमित देनदार ने पुनर्भुगतान में चूक की और 31.03.2013 पर एन. पी. ए. बन गया; (iv) कि अपीलकर्ता ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत दिनांक 30.04.2013 का मांग नोटिस जारी किया; (v) वसूली का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डी. आर. टी., पुणे की फाइल पर 2014 की No.185; (vii) मूल आवेदन को डी. आर. टी., पुणे द्वारा दिनांकित <आई. डी. 1 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें निगमित देनदार और प्रतिवादी संख्या 1 सहित अन्य लोगों को अपीलार्थी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने

का निर्देश दिया गया था, जिसमें लगभग Rs.45 कोर का योग ब्याज @16.25% प्रति वर्ष (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि के अलावा); (viii) कि निगमित देनदार से 13.08.2019 पर बकाया कुल राशि Rs.108,34,33,364.19 थी; और (ix) कि एक समानांतर कार्यवाही में

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. दिनांक 06.11.2019 के एक आदेश द्वारा, NCLT ने धारा 7 IBC के तहत दायर अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया। प्रवेश के आदेश को चुनौती देते हुए, इसमें पहले प्रत्यर्थी जो कॉर्पोरेट-ऋणदाता का 50 प्रतिशत शेयरधारक, प्रवर्तक, निदेशक और लेनदार होने का दावा करता है, ने एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की। इस अपील में आक्षेपित दिनांक 1 के आदेश द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने एन. सी. एल. टी. के आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि अपीलार्थी-वित्तीय लेनदार के दावे पर रोक लगा दी गई थी।

जी.

एच.

383

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विजय सीताराम दंडनायक और ए. एन. आर.

सीमा से।उक्त आदेश से व्यथित वित्तीय लेनदार हमारे समक्ष अपील पर है।

5. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष, पहले प्रत्यर्थी ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित समापन के आदेश के आलोक में, धारा 7 आई. बी. सी. के तहत एक आवेदन विचारणीय नहीं था।लेकिन पहले प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए उक्त तर्क को इस न्यायालय के फैसले के आधार पर एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

बी.

जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स एम्प्लॉइज ऑर्गनाइजेशन बनाम जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और अन्य। **1.**

6. समापन के आदेश के आधार पर उठाए गए रखरखाव से संबंधित आपत्ति को खारिज करने के बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा के सवाल पर विचार किया।एन. सी. एल. ए. टी. ने राय दी कि इस न्यायालय का निर्णय

सी.

बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर बनाम। वीर गुर्जर एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. 2, ने सीमा के सवाल पर मुद्दा उठाया और कहा कि 10.10.2019 पर दायर धारा 7 के तहत आवेदन डिफ़ॉल्ट (NPA) की तारीख से तीन साल की अवधि से अधिक था, अर्थात् 31.03.2013।एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा दिनांकित संतुलन और सुरक्षा पुष्टि पत्र को चूक की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, सीमा अधिनियम की धारा 18 को भी अपीलार्थी के मामले में लागू नहीं किया गया था।इसलिए वर्तमान अपील।

डी.

ई.

6. लेकिन अभिलेखों के अवलोकन और दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने से पता चलता है कि एन. सी. एल. ए. टी. तथ्य और कानून दोनों पर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा।आई. बी. सी. की धारा 7 (1) एक वित्तीय लेनदार को निगमित दिवाला समाधान शुरू करने में सक्षम बनाती है।

प्रक्रिया "जब एक डिफ़ॉल्ट अर्जित हो गया हो"।धारा **7** की उप-धारा **(1)** के तहत स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि चूक में न केवल आवेदक-वित्तीय लेनदार बल्कि किसी अन्य वित्तीय लेनदार के लिए बकाया वित्तीय ऋण के संबंध में चूक शामिल है।

एफ.

कॉर्पोरेट देनदार।यह तथ्य कि निगमित ऋणी को बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा समाप्त करने का आदेश दिया गया है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि मामला धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है।

जी.

7. "डिफ़ॉल्ट" शब्द को आई. बी. सी. की धारा 3 (12) में परिभाषित किया गया है

इसका अर्थ है "पूर्ण या किसी भाग या किश्त में ऋण का भुगतान न करना"

1 (2019) 4 एससीसी 227 2 (2020) 15 एससीसी 1

एच.

ए.

ऋण की राशि देय और देय हो गई है और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।"

8. 2018 के अधिनियम 26 द्वारा, आई. बी. सी. में धारा 238 ए को यह प्रावधान करने के लिए जोड़ा गया था कि सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान, जहां तक हो सके, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही या अपीलों पर लागू होंगे। उपरोक्त संशोधन के आधार पर, आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही के लिए सीमा कानून की प्रयोज्यता के सवाल पर यदि कोई संदेह है, तो वह दूर हो गया।

बी.

9. यह ध्यान दिया जा सकता है कि आई. बी. सी., 2016 के विभिन्न प्रावधान अलग-अलग तिथियों पर लागू हुए थे।धारा 4 से 32, धारा 60 से 77, धारा 198,231 और 236 से 238, एस. ओ. No.3594 (ई) दिनांक 30.11.2016 के माध्यम से 01.12.2016 पर लागू हुई।

सी.

10. 2018 का अधिनियम No.26, जिसके द्वारा धारा 238A डाली गई थी, 06.06.2018 पर लागू हुआ।इसलिए बी. के. एजुकेशनल में एक सवाल उठा।

क्या सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधान आई. बी. सी. की धारा 7/9 के तहत दाखिल किए गए आवेदनों पर लागू होंगे जो आई. डी. 2 पर शुरू होने से लेकर आई. डी. 1 तक लागू होंगे।इस न्यायालय ने आई. बी. सी. की धारा 3 (37) पर ध्यान दिया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 का संदर्भ देती है, जहां तक आई. बी. सी. में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का संबंध नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 और 424 का संदर्भ दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 433 के आधार पर, सीमा अधिनियम के प्रावधान धारा 238 ए को शामिल करने से पहले शुरू की गई कार्यवाही पर भी लागू होंगे। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 137, जो इस अधिनियम से तीन वर्ष की अवधि निर्धारित करता है -

डी.

ई.

तारीख "जब आवेदन करने का अधिकार अर्जित होता है", किसी भी आवेदन के लिए जिसके लिए

एफ.

अनुसूची में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, यह लागू होगी।

10. बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज (उपरोक्त) में अनुपात, जिग्नेश शाह और अन्न बनाम अन्न में विस्तार से पाया गया।भारत संघ और एएनआर। 4,

जहां इस न्यायालय ने समापन के लिए एक याचिका को सीमा द्वारा वर्जित करने के लिए अभिनिर्धारित किया, क्योंकि यह उस तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था जिस दिन विशिष्ट प्रदर्शन/नुकसान के लिए पहले से ही स्थापित मुकदमे में उल्लिखित कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अनुमान लगाया जा सकता है

जी.

3 (2019) 11 एससीसी 633 4 (2019) 10 एससीसी 750 ए

एच.

385

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विजय सीताराम दंडनायक और ए. एन. आर.

जिग्नेश शाह (ऊपर) के निर्णय से।वे इस प्रकार हैं:(i) कार्रवाई के कारण के आधार पर वसूली के लिए एक मुकदमा जो सीमा के भीतर है, किसी भी तरह से कार्यवाही को समाप्त करने के अलग और स्वतंत्र उपाय को प्रभावित नहीं कर सकता है और इसलिए समाप्ति की कार्यवाही भी सीमा की अवधि समाप्त होने से पहले शुरू की जानी चाहिए थी; और (ii) कानून में, जब समय चलना शुरू होता है, तो इसे केवल सीमा अधिनियम में प्रदान किए गए तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सीमा अधिनियम की धारा 18 के तहत दायित्व की स्वीकृति।

बी.

11. जिग्नेश शाह (ऊपर) के बाद, यह न्यायालय बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर (ऊपर) मामले से संबंधित था, जिसमें एक सवाल विचार के लिए आया था कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की सीमा की अवधि, बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण के मामले में अलग होगी।उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के सभी पिछले निर्णयों पर विचार किया और पैराग्राफ 32 में उन निर्णयों से निकाले गए कानून के सिद्धांतों को निम्नानुसार स्पष्ट किया:

सी.

डी.

“32. जब संहिता की धारा 238-ए को अभिनव उद्योगों में इस न्यायालय के उपरोक्त सुसंगत निर्णयों के साथ पढ़ा जाता है,

बी. के. एजुकेशनल सर्विसेज, स्विस रिबन, के. शशिधर, जिग्नेश शाह, वाशदेव आर. भोजवानी, गौरव हरगोविंदभाई

क्रमशः डेव और सागर शर्मा, निम्नलिखित मूल बातें निस्संदेह सामने आती हैं:

ई.

(क) कि संहिता एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करना है और यह केवल धन वसूली कानून नहीं है;

(ख) कि सी. आई. आर. पी. का उद्देश्य निगमित देनदार के प्रतिकूल होना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य निगमित देनदार के हितों की रक्षा करना है;

एफ.

(ग) संहिता का उद्देश्य उन ऋणों को नया जीवन देना नहीं है जो समय-बाधित हैं;

(घ) कि संहिता की धारा 7 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की मांग करने वाले आवेदन के लिए सीमा की अवधि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 द्वारा शासित है और इसलिए, उस तारीख से तीन साल है जब आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है;

जी.

(ई) कि एक वित्तीय लेनदार द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए ट्रिगर कॉर्पोरेट देनदार की ओर से डिफ़ॉल्ट है, अर्थात, कि

एच.

ए.

कोड के तहत आवेदन करने का अधिकार उस तारीख को प्राप्त होता है जब डिफ़ॉल्ट होता है;

(च) संहिता में निर्दिष्ट वह व्यतिक्रम निगमित देनदार द्वारा वास्तविक गैर-भुगतान का है जब कोई ऋण देय और देय हो जाता है; और

बी.

(छ) यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले चूक हुई थी, तो आवेदन समय-बाधित होगा, सिवाय उन मामलों के जहां, तथ्यों के आधार पर, दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है; और

(ज) संहिता की धारा 7 के तहत एक आवेदन बंधक दायित्व के प्रवर्तन के लिए नहीं है और सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 62 इस आवेदन पर लागू नहीं होता है।"

सी.

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के बाद, इस न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 18 की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न बाबूलाल में विचार के लिए लिया। हालांकि जिग्नेश सिंह में निर्णय तीन सदस्यीय पीठ द्वारा लिया गया था, जिसने अपने फैसले के पैराग्राफ 21 में कहा था कि "कानून में जब समय शुरू होता है।

डी.

इसे चलाने के लिए केवल सीमा में दिए गए तरीके से बढ़ाया जा सकता है

अधिनियम ", बाबूलाल में (2 सदस्यीय पीठ द्वारा) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सीमा एन. पी. ए. की तारीख से ही चलना शुरू हो जाएगी।उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने वाशदेव आर. भोजवानी मामले में निर्णय का उल्लेख किया।

ई.

बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**. 5.**

13. लेकिन वाशदेव आर. भोजवानी (ऊपर) एक ऐसा मामला था जिसमें 1999 में ऋण को एन. पी. ए. घोषित किया गया था और 2001 में वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन धारा 7 आई. बी. सी. के तहत याचिका 2017 में दायर की गई थी।यही कारण है कि इस न्यायालय ने वाशदेव आर. भोजवानी के मामले में निर्णय दिया कि जब वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2001 जारी किया गया था, तो

एफ.

प्रमाणपत्र ने अपीलार्थी के अधिकारों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सीमा में कमी आनी शुरू हो गई होगी।

14. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने वाशदेव आर. भोजवानी में पाया कि धारा 7 के तहत आवेदन वसूली प्रमाण पत्र की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद दायर किया गया था, न कि एनपीए की घोषणा की तारीख से। इसलिए, बाबूलाल में कुछ हद तक असंगत टिप्पणी, जिग्नेश शाह के पैराग्राफ 21 में निर्धारित अनुपात को नहीं बदल सकती थी और न ही बदल सकती थी।बाबूलाल द्वारा पैदा किए गए संदेह के बादल

जी.

5 (2019) 9 एससीसी 158 ए

एच.

387

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विजय सीताराम दंडनायक और ए. एन. आर.

सीमा अधिनियम की धारा 18 की प्रयोज्यता के संबंध में था

बाद में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (इंडिया) लिमिटेड में मंजूरी दी गई

बनाम बिशाल जयस्वाल और अन्र। 6, जिसमें यह न्यायालय इस हद तक अभिनिर्धारित करता है कि कंपनी की तुलनपत्र में प्रविष्टि को लिखित रूप में एक पावती के रूप में भी माना जा सकता है, हालांकि साथ की गई रिपोर्टों में पाए जाने वाले किसी भी चेतावनी के अधीन।

बी.

15. किसी भी मामले में**,** इस न्यायालय ने देना बैंक बनाम सी मामले में स्पष्टीकरण दिया।

शिवकुमार रेड्डी और एक अन्य **7** जिसे बाबूलाल में प्रस्तुत किया गया था

मामले के विशेष तथ्य।देना बैंक (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 105 से 107 में चर्चा पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैः

सी.

“105. बाबूलाल वर्धरजी गुर्जर में इस न्यायालय का निर्णय उपरोक्त मामले के तथ्यों में दिया गया था, जिसमें चूक की तारीख का उल्लेख एन. पी. ए. की तारीख के रूप में किया गया था और यह निर्विवाद रहा कि आवेदन में न तो चूक की कोई अन्य तारीख बताई गई थी और न ही किसी स्वीकृति के बारे में कोई सुझाव दिया गया था।

डी.

106. उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने कहा कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 18 और उसका सिद्धांत लागू हो, लेकिन यह विचाराधीन आवेदन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें चूक के बारे में अभिकथन और स्वीकृति के संबंध में कोई अन्य अभिकथन नहीं है।

ई.

107. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निर्णय उस कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जिसे उठाया और तय किया जाता है न कि मामले के तथ्यों में की गई कोई टिप्पणी।जैसा कि वी. सुधीश पाई द्वारा बहुत उपयुक्त रूप से लिखा गया है

संवैधानिक सर्वोच्चता-एक समीक्षा,

एफ.

“न्यायिक कथन/घोषणाएँ किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में होती हैं।किसी कानून के शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ऐसी चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए।न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।”

जी.

उपरोक्त परिच्छेद को निकाला गया और शेष नाथ सिंह मामले में इस न्यायालय के फैसले के हिस्से के रूप में शामिल किया गया।”

6 (2021) 6 एससीसी 366 7 (2021) 10 एससीसी 330

एच.

ए.

16. देना बैंक (उपरोक्त) में निर्णय की शुद्धता पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के एक कॉर्पोरेट देनदार ने सवाल उठाया था। बनाम ए. बालाकृष्णन 8, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि देना बैंक (उपरोक्त) में निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार था, इस आधार पर कि उसने बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (जिसे इसके बाद डी. आर. टी. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 19 की उप-धाराओं (22) और (22 ए) के साथ-साथ धारा 3 के खंड (6), (10), (11) और (12), आई. बी. सी. की धारा 5, धारा 6 और धारा 14 (1 ए) के खंड (7) और (8) को ध्यान में नहीं रखा। उक्त तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कोटक महिंद्रा बैंक (उपरोक्त) में बिना किसी अनिश्चितता के दोहराया कि एक व्यक्ति डी. आर. टी. द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सी. आई. आर. पी. शुरू करने का हकदार होगा।

बी.

सी.

17. इसलिए, आज की तारीख में देना बैंक के पास यह क्षेत्र है।हाथ में मामले में, अधिनियम, 1993 की धारा 19 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर मूल आवेदन में ऋण वसूली न्यायाधिकरण का आदेश दिनांकित 01.11.2016 है।इसके बाद ही कॉरपोरेट देनदार ने ऋण के पुनर्गठन के लिए अनुरोध करने के अलावा शेष राशि और प्रतिभूति पुष्टि पत्र दिनांक 17.06.2017 जारी किया।इसलिए, धारा 7 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन स्पष्ट रूप से उस तारीख से तीन साल के भीतर था जिस दिन अनुच्छेद 137 के संदर्भ में "आवेदन करने का अधिकार" अर्जित हुआ था।इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. का विवादित आदेश, जो केवल बाबूलाल पर भारी निर्भरता रखता है, सही नहीं है।

डी.

ई.

18. अलग होने से पहले, हम कानून के विकसित होने के तरीके में विसंगति को इंगित करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते।सीमा अधिनियम, 1963, जैसा कि अच्छी तरह से समझा जाता है, उपचार को समाप्त कर देता है न कि अधिकार को।यही कारण है कि अधिनियम में सीमा की अवधि की गणना करते समय समय के अपवर्जन के लिए कई प्रावधान हैं।

एफ.

19. लगातार इस न्यायालय ने माना है कि आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए है, आधार को बनाए रखते हुए, प्रबंधन को एक नई टीम (समाधान आवेदक) के साथ प्रतिस्थापित करते हुए भी।दूसरे शब्दों में, आई. बी. सी. के उद्देश्य को कुछ ऐसा समझा गया है जो कॉर्पोरेट देनदार के लिए फायदेमंद है ताकि यह एक चालू चिंता के रूप में बना रहे।जैसा कि बताया गया है

जी.

कोर्ट इन इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामआईसीआईसीआई बैंक और ए. एन. आर. **9 ".** द

अतः संहिता की योजना विनिवेश का प्रयास करना है।

8 (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 706 9 (2018) 1 एस. सी. सी. 407 ए

एच.

389

पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री विजय सीताराम दंडनायक और ए. एन. आर.

अपनी शक्तियों का पूर्व प्रबंधन और इसे एक पेशेवर एजेंसी को सौंपना, एक समाधान योजना तैयार होने तक कॉर्पोरेट निकाय के व्यवसाय को जारी रखने के लिए, जिस स्थिति में प्रबंधन को योजना के तहत सौंप दिया जाता है ताकि कॉर्पोरेट निकाय अपने ऋणों का भुगतान करने और अपने ऋणों पर वापस पाने में सक्षम हो।

"(निर्णय का अनुच्छेद 33)।20. दूसरे शब्दों में, आई. बी. सी. को एक ऐसे कानून के रूप में पेश किया जाता है जो वित्तीय/परिचालन लेनदार को सी. आई. आर. पी. शुरू करने में सक्षम बनाता है, न कि उसके कारण ऋण की वसूली में खुद की मदद करने के लिए, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार को जीवित रहने और व्यवसाय में जारी रखने में मदद करने के लिए।एक वित्तीय/परिचालन लेनदार अदालत या अन्य मंच पर कॉर्पोरेट देनदार को एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने में मदद करने के परोपकारी मिशन के साथ नहीं जाता है।लेकिन बार-बार यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही सार में नहीं है, धन की वसूली के लिए कार्यवाही, इस न्यायालय और क़ानून ने सीमा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसका उद्देश्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाही पर लागू होना था।

बी.

सी.

डी.

21. यह इंगित किया जा सकता है कि सीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची को तीन प्रभागों में विभाजित किया गया है।पहला प्रभाग मुकदमों से संबंधित है, दूसरा प्रभाग अपीलों से संबंधित है और तीसरा प्रभाग आवेदनों से संबंधित है।सूट से संबंधित प्रथम विभाजन को 10 भागों में विभाजित किया गया है जो क्रमशः::-

ई.

((i) लेखाओं से संबंधित वाद; (ii) अनुबंधों से संबंधित वाद; (iii) घोषणाओं से संबंधित वाद;

((iv) फरमानों और उपकरणों से संबंधित मुकदमे; (v) अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे; (vi) चल संपत्ति से संबंधित मुकदमे; (vii) अपकृत्य से संबंधित मुकदमे;

एफ.

(viii) न्यास और न्यास संपत्ति से संबंधित वाद; (ix) विविध मामलों से संबंधित वाद; और (x) ऐसे वाद जिनके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है।

जी.

22. सीमा अधिनियम की अनुसूची का दूसरा खंड अपीलों से संबंधित है।अनुसूची का तीसरा विभाजन सीमा तक

एच.

390

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

ए.

अधिनियम को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भाग-I निर्दिष्ट मामलों में आवेदनों से संबंधित है और भाग-II अन्य आवेदनों से संबंधित है।

23. सीमा के नियम के लिए, उपाय गोल पोस्ट है और सही साइन पोस्ट है जहाँ से यात्रा शुरू होती है।ए.

कानून की अदालत में कोई भी कार्यवाही शुरू करने वाले व्यक्ति को अपने आप में अधिकार और अपने लिए एक उपाय दोनों का अस्तित्व दिखाना चाहिए, लेकिन आई. बी. सी. एक ऐसा कानून है जहां साइन पोस्ट अर्थात् अधिकार वित्तीय/परिचालन लेनदार के लिए है और लक्ष्य पोस्ट अर्थात् उपाय, कॉर्पोरेट देनदार के लिए है, हालांकि लेनदार बाल कटवाने के बाद अपने ऋण के एक हिस्से की वसूली भी कर सकता है, यदि मुंडन नहीं।इस विसंगति ने शायद इस न्यायालय को सीमा के रास्ते से एक कठिन यात्रा शुरू करने और कई खराब पैच के माध्यम से अपने रास्ते पर बातचीत करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है।

बी.

सी.

24. अब मामले पर वापस आते हुए, अपीलार्थी-बैंक द्वारा धारा 7 आई. बी. सी. के तहत दायर आवेदन सीमा की अवधि के भीतर था।इसलिए इस अपील की अनुमति दी जाती है और एन. सी. एल. ए. टी. के दिनांकित 02.03.2021 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.